



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219226
CG-DL-E-29042020-219226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1243]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942

No. 1243]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

का.आ. 1391(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 1783(अ), तारीख 16 मई, 2019 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 20 मई, 2019 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “द टाइम्स ऑफ इण्डिया” (अंग्रेजी), तारीख 17 सितम्बर, 2019 और “लोकमत” (मराठी), तारीख 17 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकारमें आत्यंतिक रुप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले मे विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे संख्या/गट संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पालघर	पालघर	कपासे	168	खेतजमिन	निजी	0.0105	भाउराव भालचंद्र पाटील
				151पै	खेतजमिन	निजी	0.2641	अनंत रामजी जाधव नंदकुमार वसंत जाधव प्रकाश वसंत जाधव

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2013]

अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

S.O. 1391(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1783(E), dated the 16th May, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th May, 2019 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India”, (English), dated the 17th September, 2019 and “Lokmat”, (Marathi), dated the 17th September, 2019 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor, in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Serial Number	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number/Gut Number	Nature of Land	Type of land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Palghar	Palghar	Kapase	168	Agriculture	Private	0.0105	Bhaurao Bhalchandra Patil.
				151P	Agriculture	Private	0.2641	Aanant Ramji Jadhav Nandkumar Vasant Jadhav Prakash Vasant Jadhav.

[F. No. 2020/LML-II/12/1/WC/2013]

AJAY SHARMA, Executive Director (Land and Amenities-1)